

प्रवेश सूचना**कक्षा-2nd, 3rd, 4th, 5th & 7th**

प्रवेश हेतु जारी की गयी सूची अस्थायी है जो कि पंजीकरण फॉर्म में दी गयी सूचना पर आधारित है मूल प्रपत्रों की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच एवं दाखिला 26.04.2023 से 28.04.2023 तक प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच की जायेगी।

अभिभावकों के लिए निर्देश :

प्रवेश के समय निम्न प्रपत्रों की मूल प्रतिलिपि सत्यापन हेतु उपलब्ध करवानी होगी।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र(टी. सी) की मूल प्रतिलिपि , शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित।
2. विद्यार्थीकाजातिप्रमाणपत्र(जो लागू हो) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओ बी सी -नॉन क्रीमी लेयर /दिव्यांग इत्यादि के सम्बंध में जरी प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकार/ संघसरकारकेसंबंधितप्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो , की मूल प्रतिलिपि।
3. सेवा प्रमाण पत्र एवं सथानान्तरण विवरण (यदि लागू हो)जो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें कार्यालय अध्यक्ष कानाम, पदनाम और अन्य ब्योरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हो। (प्रारूप दिखाया गया है)
4. नवीनतम वेतन पर्ची -अविभावक(सरकारी कर्मचारियों के लिए)।
5. सेवानिवरितरक्षा कर्मियों की डिस्चार्ज स्लिप।
6. बच्चे के दो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो।
7. विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र।
8. विद्यार्थी का आधार प्रमाण पत्र।
9. प्रवेश के समय अभिभावक का अपने बच्चे के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
10. निवास स्थान का प्रमाण।
11. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओ बी सी -नॉन क्रीमी लेयर के सम्बंध में माता- पिता का जाती प्रमाण पत्र मान्य होगा लेकिन दाखिले के ०३ माह के अंदर बच्चे के नाम से प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
12. सभी प्रमाण पत्रों के स्व- प्रमाणित प्रति प्रवेश के समय जमा करनी होगी।
13. प्रवेश की सभी औपचारिकताएँ पूरी न किए जा सकने की स्थिति में सीट अगले विद्यार्थी को देदी जायेगी।
14. पुस्तकों, यूनिफ़ॉर्म, विद्यालय के समय से संबंधित जानकारी इत्यादि कक्षा अध्यापक से प्राप्त की जा सकती है।

नोट:

१. केवल पंजीकरण से दाखिले का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
२. अधूरे भरे आवेदनफॉर्म निरस्त कर दिए जायेंगे।
३. गलतप्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जायेगा और प्राचार्य द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध किसी भी अपील परविचार नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य

K.V. AFS BAWANA DELHI-39

ADMISSION NOTICE

CLASS:-2nd, 3rd, 4th, 5th & 7th

List displayed is provisional, subject to the verification of documents declared in the Registration Form by the parent.

The verification of documents and admission for the provisionally selected candidates will be held from **26-04-2023 to 28-04-2023 from 09:00 am to 12:00 pm.**

Parents are requested to bring the following documents in original with one set of photocopies: -

1. Original Transfer Certificate of the child, counter signed by Education Officer.
2. A Copy of SC/ST/OBC-NCL/Disabled Candidates certificate issued by competent authority.
3. A Latest service certificate including transfer detail (for Govt. Employee) signed and stamped by the head of the office with employee number (format displayed).
4. Latest Salary Slip of the parents. (for Govt. Employee)
5. Discharge slip for Ex-serviceman.
6. Two coloured passport size recent photograph of child.
7. Blood Group report of child from a pathology lab.
8. Aadhar Card of the child and Parents
9. Residence Proof (latest Electricity Bill/LPG gas bill/Water bill)
10. Every photocopy of document, which is submitted should be self-attested by the parents.
11. In case of SC/ST/OBC-NCL candidate the certificate in respect of either of the parents will be accepted but certificate in respect of child has to be submitted within a period of 3 months from date of admission.
12. Reservation as per law provided will be binding.
13. In case the formalities are not completed, the seat will be offered to the next candidate in waiting list.
14. Instructions regarding the books, uniform, school timing etc. will be given by the class teachers.
- 15. Parents are requested to report at Kendriya Vidyalaya AFS Bawana).**

- NOTE:
- MERE REGISTRATION WILL NOT CONFER A RIGHT TO ADMISSION.
 - INCOMPLETE APPLICATION FORM SHALL NORMALLY BE REJECTED.
 - ADMISSION SECURED ON THE BASIS OF ANY WRONG CERTIFICATE WILL BE CANCELLED BY THE PRINCIPAL FORTHWITH AND NO APPEAL AGAINST SUCH ACTION OF THE PRINCIPAL SHALL BE ENTERTAINED.

**BY ORDER
PRINCIPAL**